(3)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/65/2018	26.03.2018	03.07.2018

01— भौंरा पुत्र दल्ला, कौम—स्वामी, निवासी—ग्राम—कानूगोवाली स्वामीयान, तहसील— बानसूर, जिला अलवर राज0

—: अपीलाण्ट

बनाम

01— तहसीलदार बानसूर जिला अलवर

—: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर
दिनांक 28.02.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 85/2018

उपस्थितः—

01—श्री अनिल गुप्ता

—वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 28.02.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम कानूनगोवाली की आराजी खसरा नम्बर 894, 895 रकबा 0.63 है0 में से 0.07 है0 किस्म चारागाह गै.मु. स्कूल पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में निवेदन किया है कि ग्राम कानूनगोवाली की आराजी खसरा नम्बर 894, 895 रकबा 0.63 है0 में से 0.07 है0 किस्म चारागाह गै.मु. स्कूल पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 22.02.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान व शास्ति से दण्डित किया। अपीलांट को अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का अतिक्रमण साबित होता है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 17.04.2018 अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम कानूनगोवाली की आराजी खसरा नम्बर 894, 895 रकबा 0.63 है0 में से 0.07 है0 किस्म चारागाह गै.मु. स्कूल पर फसल, चारदीवारी, शौचालय व कचरा डालकर अतिक्रमण किया हुआ है तथा कब्जा नहीं छोडा है। वकील अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेश दिनांकः 30.04.2018 की प्रमाणित प्रति पेश की गई जिसमें प्रकरण का 03 माह में निस्तारण करने हेतु आदेश प्रदान किए गए हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3-7-18

(बनवारीलाल रमण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)